



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092021-229448
CG-DL-E-06092021-229448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943

No. 502]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 616(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 144ख की उपधारा (7) के खंड (i) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 14ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘14ग. धारा 144ख की उपधारा (7) के खंड (i) के उपखंड (ख) के अधीन इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रानिक अभिलेख के अधिप्रमाणन की विहित रीति.—धारा 144ख की उपधारा (7) के खंड (i) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई निर्धारित या कोई अन्य व्यक्ति, आय-कर विभाग के पदाभिहित पोर्टल में अपने रजिस्ट्रीकृत खाते में लॉग करके, इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत करता है, वहां यह समझा जाएगा कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन अधिप्रमाणित कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “पदाभिहित पोर्टल” का वही अर्थ होगा, जो धारा 144ख के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (i) में उसका है।’।

[अधिसूचना सं. 101/2021/फा. सं. 370142/35/2021-टीपीएल (भाग 1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 612(अ), तारीख 02 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।